236

संख्या–415/15–XIX–2/89 खाद्य/2013 टी0सी0I

प्रेषक,

राधा रतूडी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

1– आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड ।

2– सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक,
गढवाल/कुमॉयू सम्भाग,
देहरादून/हल्द्वानी ।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांक 18 सितम्बर, 2015**

विषयः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA), अन्त्योदय अन्न योजना एवं Tide Over Allocation के अर्न्तगत माह अक्टूबर 2015 से अग्रिम माहों हेतु खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) का मासिक आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–1–8/2013 बी0पी0–III (Vol–II) दिनॉक 16–09–2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA), अन्त्योदय अन्न योजना एवं Tide Over Allocation के अर्न्तगत माह अक्टूबर 2015 से अग्रिम माहों हेतु खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) का मासिक आवंटन निम्नानुसार जारी किया गया है :–

योजना का नाम	मसिक आवंटन (मी0 टन में)			केन्द्रीय निर्गमन मूल्य (प्रति कुन्तल)	
	चावल	गेहूँ	योग	चावल	गेहूँ
अन्त्योदय अन्न योजना	3995.300	2448.730	6444.030	रू0 300.00	रू0 200.00
प्राथमिक परिवार	16746.670	10264.100	27010.770		
योग	20741.970	12712.830	33454.800		
Tide Over Allocation	2792.400	5669.400	8461.800	रू0 830.00	रू0 610.00

2. अतः उक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA), अन्त्योदय अन्न योजना एवं Tide Over Allocation के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन को जनपदवार ब्रेकअप (संलग्नक –1, 2 एवं 3) के अनुसार जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

क्रमशः....2 पर

3. जिला पूर्ति अधिकारी अपने–अपने जनपदों हेतु आवंटित खाद्यान्न की मात्रा का योजनावार बेस गोदाम/ब्लॉक गोदाम एवं आन्तरिक गोदामवार ब्रेकअप तत्काल संभागीय खाद्य नियंत्रको को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे ताकि आवंटित खाद्यान्न का मूल्य समयान्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के पक्ष में जमा कर निर्धारित अवधि में इसका उठान करते हुये पर्वतीय जनपदों में इसका प्रेषण सुनिश्चित किया जा सके।

4. आवंटित खाद्यान्न की मात्रा से अन्त्योदय अन्न योजना के प्रत्येक राशनकार्ड धारक को प्रतिमाह 35 किग्रा0 खाद्यान्न एवं प्राथमिक परिवारों को 5 किग्रा0 खाद्यान्न प्रतियूनिट प्रतिमाह निम्न तालिका के अनुसार निर्धारित उपभोक्ता दरों पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजनावार प्रतिमाह वितरित की जाने वाली मात्रा एवं दरें निम्न है :–

क्र0 सं0	योजना का नाम	खाद्यान्न का नाम	उपलब्ध कराई जाने वाली मात्रा		उपभोक्ताओं हेतु निगर्मन दरें (प्रति किग्रा0)
1	अन्त्योदय अन्न योजना	गेहूँ	21.700 किग्रा0	35.00 किग्रा0 प्रतिकार्ड	रु0 2.00
		चावल	13.300 किग्रा0		रु0 3.00
2	प्राथमिक परिवार	गेहूँ	2.00 किग्रा0	5.00 किग्रा0 प्रति यूनिट	रु0 2.00
		चावल	3.00 किग्रा0		रु0 3.00

Tide Over Allocation के अर्न्तगत आवंटित खाद्यान्न की उपभोक्ताओं हेतु निगर्मन मात्रा/दरें पृथक से सूचित की जायेंगी। अग्रिम आदेशों तक Tide Over Allocation के अर्न्तगत आवंटित खाद्यान्न की मात्रा का उठान कर गोदामों में संग्रहित रखा जायेगा।

5. माह अक्टूबर, 2015 हेतु आवंटित खाद्यान्न की लागत को जमा करने एवं उठान की वैधता अवधि भारत सरकार के आदेश के जारी होने की तिथि 16.09.2015 से 30 दिनों तक सीमित होगी तथा अग्रेत्तर माहों हेतु आवंटित खाद्यान्न का मूल्य जमा करने तथा उसके उठान की वैधता भारत सरकार के पत्र संख्या 1–2/2007 बी0पी0–III दिनॉक 11–07–2014 के अनुसार होगी।

6. यदि सम्भागीय खाद्य नियंत्रको द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय अन्न योजनाओं के माह अक्टूबर, 2015 के आवंटन के अनुरूप भारतीय खाद्य निगम के पक्ष में धनराशि जमा करा ली गई हो अथवा खाद्यान्न का उठान सुनिश्चित कर लिया गया हो तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA), अन्त्योदय अन्न योजना एवं Tide Over Allocation के अर्न्तगत संशोधित आवंटन के अनुरूप धनराशि का समायोजन कर खाद्यान्न का उठान सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः.....3 पर

7. माह अक्टूबर, 2015 से राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) लागू होने के दृष्टिगत दिनॉक 01.10.2015 के पश्चात किसी भी दशा में पूर्ववर्ती माहों का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय अन्न योजनाओं का खाद्यान्न कदापि वितरित नही किया जायेगा। यदि किसी जनपद से इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होती है तो दोषी कार्मिकों के विरूद्व कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

8. राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) लागू होने से पूर्व दिनॉक 30.09.2015 की मध्यरात्रि में राजकीय गोदामों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत ए0पी0एल0, बी0पी0एल0, अन्त्योदय अन्न योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतिम अवशेष के भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

9. मासिक रूप से आवंटित गेहूँ का उठान स्टेट पूल योजना में न होने की दशा में भारतीय खाद्य निगम से एवं समस्त आवंटित चावल की मात्रा का निर्गमन स्टेटपूल योजना के अर्न्तगत संग्रहित चावल की मात्रा से किया जायेगा ।

10. उपरोक्त योजनाओं में आवटिंत खाद्यान्न की मात्रा केवल उसी प्रयोजन के लिए निर्गत/वितरित की जायेगी, जिस हेतु भारत सरकार तथा शासन द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है। आवटिंत खाद्यान्न की मात्रा का निर्गमन किसी अन्य उद्देश्य एवं योजना हेतु कदापि न किया जाए।

11. जिला पूर्ति अधिकारी अपने जनपदों हेतु संलग्न जनपदवार ब्रैकअप के अनुसार आवंटित खाद्यान्न की मात्रा पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह वितरण करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र नियन्त्रण आदेश, 2001 के अनुसार निर्धारित अवधि तक खाद्यायुक्त कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगें।

12. स्टेटपूल योजना के अर्न्तगत चावल समाप्त होने की दशा में आवंटित चावल की मात्रा का क्रय जनपदों के आवटंन के अनुरूप भारतीय खाद्य निगम से किया जायेगा। सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, गढवाल/कुमॉयू सम्भाग आवंटित चावल का संचरण मितव्ययता के दृष्टिगत कराना सुनिश्चित करेगें जिससे परिवहन मद में राज्य सरकार को कम से कम व्यय वहन करना पडे।

13. वित्त नियन्त्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा स्टेटपूल योजना से निर्गत खाद्यान्न की मात्रा की धनराशि प्रतिपूर्ति (Subsidy) का प्रस्ताव भारत सरकार को निर्धारित प्रारूपों पर नियमानुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा ।

14. संभागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा स्टेटपूल योजना के अन्तर्गत संग्रहित खाद्यान्न की मात्रा का ऑफटेक पाक्षिक/मासिक रूप से प्रत्येक माह की 01 तारीख व 16 तारीख को खाद्यायुक्त कार्यालय में स्थापित खाद्य नियंत्रण कक्ष को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

क्रमशः.....4 पर

15. वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु समय समय पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत ए0पी0एल0, बीपी0एल0 एवं अन्त्योदय अन्न योजनाओं हेतु जारी नियमित/तदर्थ आवंटन दिनॉक 30.09.2015 को समाप्त समझे जायेंगे। उपरोक्त के सम्बन्ध में निकट भविष्य में यदि भारत सरकार से कोई दिशा–निर्देश प्राप्त होते हैं तो तद्नुसार इस शासनादेश में संशोधन किया जायेगा।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी),
प्रमुख सचिव।

संख्या–1115/15–XIX–2/89 खाद्य/2013 टी0सी0I तद्दिनॉक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले,खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को पत्र संख्या–1–8/2013 बी0पी0–III (Vol–II) दिनॉक 16–09–2015 के सन्दर्भ में सूचनार्थ ।
2– आयुक्त,गढवाल/कुमॉयू मण्डल, पौडी/नैनीताल ।
3– अपर सचिव, मा0 मुख्यमन्त्री को मा0 मुख्यमन्त्री जी के अवलोकनार्थ ।
4– स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ ।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
6– वित्त नियन्त्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड ।
7– महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उत्तराखण्ड ।
8– सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी(खाद्य), गढवाल/कुमॉयू सम्भाग,देहरादून/हल्द्वानी ।
9– उपसम्भागीय विपणन अधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/पौडी/हल्द्वानी/उधमसिंह नगर ।
10– समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
11– वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड को मा0 मन्त्री जी के अवलोकनार्थ ।
12– समन्वयक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड शासन ।
13– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी),
प्रमुख सचिव।